न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 — 33/2022

अनवान : —

1. संदीप बैनीवाल पुत्र श्री महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी भिरानी त0 भादरा प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र रिकॉर्डदुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :—श्री रतनसिंह धारीवाल प्रार्थी
राजपैरोकार अप्रार्थी

निर्णय दिनांकः 14/9/22

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही भिरानी के खाता सं0 472/436 के मु0 न0 94, 109, 452, 497, 500 की कुल 5.6210है0 कृषि भूमि जिसमें प्रार्थी का 1/9 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में संदीप पुत्र महेन्द्रसिंह दर्ज है। जबकि प्रार्थी का सही नाम संदीप बैनीवाल पुत्र महेन्द्रसिंह है। संदीप पुत्र महेन्द्रसिंह संवहन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया, प्रार्थी के सभी दस्तावेजों में सही नाम संदीप बैनीवाल पुत्र महेन्द्रसिंह दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थी का नाम संदीप पुत्र महेन्द्रसिंह दर्ज राजस्व रिकार्ड होने के कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी का सही उपयोग—उपभोग नहीं कर पा रहा है। तथा प्रार्थी अपना सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का काननी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थी ने अपना जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

साक्ष्य प्रार्थी में संदीप बैनीवाल पुत्र महेन्द्रसिंह द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड चित्रप्रति, प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत भिरानी, जन्मप्रमाण पत्र, ड्राईविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, अंक तालिका प्रदर्शित करवायें।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम संदीप बैनीवाल पुत्र महेन्द्रसिंह है जबकि राजस्व रिकार्ड में संदीप पुत्र महेन्द्रसिंह दर्ज हो गया जिससे प्रार्थीगण को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ता है अतः मुताबिक प्रार्थीगण के दस्तावेजों व रिपॉर्ट के प्रार्थी का सही नाम संदीप बैनीवाल पुत्र महेन्द्रसिंह राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने रोही भिरानी के खाता सं0 472/436 के मु0 न0 94, 109, 452, 497, 500 की कुल 5.6210है0 कृषि भूमि जिसमें प्रार्थी का 1/9 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें प्रार्थी का नाम संदीप पुत्र महेन्द्रसिंह दर्ज है, पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों में प्रार्थी का सही नाम संदीप बैनीवाल पुत्र महेन्द्रसिंह है इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा रोही भिरानी के खाता सं0 472/436 के मु0 न0 94, 109, 452, 497, 500 की कुल 5.6210है0 कृषि भूमि जिसमें प्रार्थी का 1/9 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में संदीप पुत्र महेन्द्रसिह की जगह प्रार्थी का सही नाम संदीप बैनीवाल पुत्र महेन्द्रसिह दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि संदीप पुत्र महेन्द्रसिह के नाम से हो तो उसके लिए प्रार्थी का संदीप पुत्र महेन्द्रसिह ही लागू होगा।

निर्णय आज दिनांक 15/9/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

(शकुंतला चौधरी)R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)